रजिस्ट्री सं० डी० 212

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

71] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1972/फाल्गुन 14, 1893

No. 71] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1972/PHALGUNA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March 1972

G.S.R. 96(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary so to do for controlling the rise in prices and for preventing the hoarding, of edible oils, pulses and salt in the State of Assam.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that, notwithstanding anything contained in sub-section (3) of the said section 3, the prices at which edible oils, pulses or salt shall be sold in any locality in the State of Assam in compliance with an Order made with reference to clause (f) of sub-section (2) of the said section 3, shall be regulated in accordance with the provisions of the said sub-section (3A), and authorises the Deputy Commissioners (including the Additional Deputy Commissioners and Sub-Divisional Officers within their respective jurisdiction) in the State of Assam to determine the average market rate prevailing in the locality for such foodstuffs under clause (iv) of the said sub-section (3A).

2. This notification shall remain in force for a period of three months.

[No. 203(ASM)(1)/78/72-PY.II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 4 मार्च, 1972

सा०का०नि० 96(अ)—यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि असम राज्य में खाद्य तेलों, दालों और नमक की कीमतों के चढ़ाव को नियंत्रित करने और उनकी जमाखोरी को निवारित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

अत:, अब, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त धारा 3 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी वे कीमतें जिन पर खाद्य तेलों, दालों या नमक का विक्रय उक्त धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश के अनुपालन में असम राज्य में किसी परिक्षेत्र में किया जाएगा उक्त उपधारा (3क) के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जाएंगी और वह उपायुक्तों (जिनमें अपर उपायुक्त और उपखण्ड अधिकारी भी सम्मिलित हैं) को असम राज्य में उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए परिक्षेत्र में प्रचालित (अभिभावी) औसत बाजार दर उक्त उपधारा (3क) के खण्ड (iv) के अधीन अवधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना तीन मास की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 203(ए० एस० एम०)(1)/(78)1/72-पी०आई०-II]

ए० के० मजूमदार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972